न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 156 / 2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2014/ 00012)

मोमनराम पुत्र मुखराम जाति माली निवासी नोहर पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाऊस के पास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी नोहर हाल आबाद लुधियाना मकान नं. 263–ए, मॉडल टाऊन, शास्त्री नगर, नजदीक गुरूतेज बहादुर हॉस्पीटल लुधियाना (पंजाब)
2. मनीराम पुत्र मुखराम जाति माली निवासी पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट टाऊन के पास नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जगराम पुत्र मुखराम जाति माली निवासी पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाऊस के पास नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. लिछमा पुत्री मुखराम धर्मपत्नी चुन्नीलाल जाति माली निवासी सोमाणी मिल के पास, नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. चम्पालाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी नोहर हाल आबाद लुधियाना मकान नं. 263–ए, मॉडल टाऊन, शास्त्री नगर, नजदीक गुरूतेज बहादुर हॉस्पीटल लुधियाना (पंजाब)

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री गगन मोदी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 5
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली– राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 31.05.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 18.03.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ताराचन्द ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया किया कि तहसीलदार नोहर द्वारा चक 27 एन.टी.आर. का नामान्तरकरण सं. 291 दिनांक 11.06.2010 दर्ज किया गया है उनको निरस्त फरमाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 18.03.2014 द्वारा रेस्पोडेन्ट ताराचन्द की अपील स्वीकार कर इन्तकाल सं. 290 दिनांक 31.3.10 निरस्त कर मृतक मोहनलाल के स्थान पर उसके

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जायज वारिसान ताराचन्द, चम्पालाल पि. मोहनलाल का नाम दर्ज किया जावे। इन्तकाल सं. 291 दिनांक 11.06.2010 संक्षम न्यायालय के आदेश के बिना स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्त किये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 के निमित नोटिस जारी करने के उपरान्त भी उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) अमल में लिये जाने के आदेश पारित किये गये।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि आराजी जैर अपील 27 एन. टी.आर.का इन्तकाल सं. 290 दिनांक 31.03.2010 ए.डी.एम. हनुमानगढ के आदेश दिनांक 01.01.2010 एवं एस.डी.एम. नोहर के खातेदारी सनद के अनुसार अन्य हिस्सेदारो के साथ–साथ मोहनलाल पुत्र मुखराम के नाम दर्ज किया गया है, और मोहनलाल ने अपना हिस्सा भूमि 1 बीधा 10 बिस्वा जरिये दस्ताबरदारी दिनांक 02.02.1998 अपीलान्ट के हक मे छोड़ दिया था जिसके आधार पर ही इन्तकाल सं. 291 दिनांक 11.06.2010 अपीलान्ट के नाम चढाया गया है जो सही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 5 का इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नही है। खातेदारी का इन्तकाल सं. 290 ए.डी.एम एवं एस. डी.एम. साहब के आदेशो से दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ताराचन्द ने सिविल न्यायालय नोहर में मोहनलाल द्वारा की गई दस्तबरदारी को शून्य निष्पभावी धोषित कराने का दावा किया। सिविल न्यायालय नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.2020 द्वारा दावा अस्वीकार कर मोहनलाल द्वारा की गई दस्तबरदारी को सही मान लिया। अतः अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.03.2014 खारिज किया जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 5 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 में जो कथन किया है वो गलत है। अपील पेश करने में देरी कारण बीमारी बताया है जबकि इस संबध में कोई डॉक्टर की पर्ची वगैरह नही पेश की है। उक्त विवादित भूमि मुखराम की विरासतन भूमि थी। मोहनलाल द्वारा गलत दस्तबरदारी की गई थी। अगर विरासतन दस्तबरदारी करनी भी होती है तो सभी वारिसानो के नाम बराबर दस्तबरदारी होती है। सिविल न्यायालय नोहर के निर्णय दिनांक 26.02.2020 के विरूद्व अपील कर रखी है, जिसमें स्थगन आदेश भी पारित हो गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील में नामान्तकरण सं. 291 दिनांक 11.06.2014 को दर्ज किया गया है जिसे अदालत मातहत के द्वारा खारिज किया गया है के विरूद्व अदालतवाला में अपील प्रस्तुत हुई है, साथ ही प्रार्थना पत्र दफा –5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं रोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका लिखित खण्डन रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद, स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाधीन निर्णय में मोहनलाल के फौत हो जाने पर वारिसान के हक में नामान्तकरण सं. 286 दिनांक 05.12.2009 रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के नाम स्वीकृत हुआ परन्तु नामान्तकरण सं. 290 मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के स्थान पर कॉलम सं. 7 में मोहनलाल के नाम गैर खातेदारी भूमि हिस्सा 28 6/7 अंकित करते हुए खातेदारी सनद के आधार पर खातेदार दर्ज किया गया है जो कि विधि सम्मत नही है, नामान्तकरण सं. 290 के कॉलम सं. 7 में मोहनलाल के स्थान पर मुताबिक जमाबन्दी सं. 2065–2068 खाता सं. 113 के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के नाम दर्ज किया जाना चाहिए इस प्रकार नामान्तकरण सं. 290 के द्वारा मोहनलाल के हक मे दर्ज किया खातेदारी नामान्तकरण रिकार्ड से मिलान नही होने के कारण

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील सं. 30/11 में खारिज किया जा चुका है तथा उसके विरूद्ध अदालतवाला में प्रस्तुत द्वितीय अपील सं. 157/2017 भी खारिज की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं. 291 को भी निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है । जब नामान्तकरण सं. 290 ही खारिज कर दिया तो नामान्तकरण सं. 291 को भी कायम रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील सं. 29/11 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 के द्वारा नामान्तकरण सं. 291 को निरस्त करने के निर्णय में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।